बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक ...106...

दिनांक ...8/8/2008...

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

+++

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

+++

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

+++

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना।
प्रधान सचिव, वित्त
बिहार, पटना ।

विषयः–सचिवालय एवं सलंग्न कार्यालय/निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को व्यवहारिक सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक 6530 (वि0) 2 दिनांक 31.07.08 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकार के निर्गत आदेश के द्वारा पदाधिकारियों के बीच विभेद बरती गयी है। पूर्व में दी पत्रांक 79 दिनांक 27.12.07 के द्वारा 'बासा' की अन्य मांगो के साथ यह मांग रखी गई थी कि बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के अनुरूप समाचार पत्र भत्ता, दूरभाष भत्ता, एल.टी.सी. की सुविधा, स्वागत भत्ता तथा अन्य सुविधाएं दी जाय।

संकल्प के द्वारा वाहन में मात्र ईंधन की आपूर्ति तथा कार्यालय आने के लिए ब्रीफकेश की सुविधा का प्रावधान किया गया है, जबकि न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दूरभाष की सुविधा, समाचार पत्र भत्ता, उदारीकृत एल.टी.सी. एवं उपार्जित अवकाश का नगदीकरण की सुविधा के साथ–साथ बिजली शुल्क एवं पानी शुल्क में भी सुविधा भी दी गयी है।

पेट्रोल/डीजल–उपसचिव एवं उसके उपर के पदाधिकारियों को चार पहिया वाहन के लिए 40 लीटर तथा दो पहिया वाहन के लिए 20 लीटर पेट्रोल/डिजल की अधिसीमा निधारित की गयी है। इसमें अवर सचिव के स्तर के पदाधिकारियों को भी समावेश किया जाना चाहिए था।

जिस प्रकार अवर सचिव या उसके उपर के पदाधिकारियों के लिए ब्रीफकेश का प्रावधान किया गया है,उसी तरह से अवर सचिव स्तर के पदाधिकारियों को भी यह सुविधा दी जाय। साथ ही सरकारी उपकम/बोर्ड, निगम, निकाय में पदस्थापित पदाधिकारियों तथा वैसे पदाधिकारियों जो जिला में पदस्थापित हैं और उन्हें वाहन उपलब्ध नहीं है उनके लिए भी पेट्रोल/डिजल की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया जाय।

घरेलू सहायता–सचिवालय एवं सलंग्न कार्यालयों में पदस्थापित 18400–22400 या उसके उपर के वेतनमान के पदाधिकारियो के लिए घरेलू सहायता भत्ता के मद में 3000/– रू0 की स्वीकृति दी गयी है।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :.................................. दिनांक ....

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

+ + +

उपाध्यक्ष

* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

+ + +

महासचिव

सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

+ + +

संयुक्त सचिव

* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

+ + +

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+ + +

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

यह स्पष्टतया राज्य सेवा के किसी पदाधिकारी को अनुमान्य नहीं होने वाली सुविधा है, क्योंकि 18400– 22400 रू0 के वेतनमान में राज्य सेवा में अभियंता प्रमुख एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख को मात्र अनुमान्य है और इनकी संख्या राज्य में 10 से भी कम है। यानि सरकार के इस आदेश का लाभ राज्य सरकार के मात्र 10 पदाधिकारियों को देय है। यह सुविधा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्गत है।
वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 337/वि0 2–दिनांक 2–7–05 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–एम–41–2006–5419 दिनांक 19–8–06 अलग से निर्गत कर अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के लिए अलग से सुविधा प्रदान की गयी है। उसी प्रकार यह घरेलू सहायता भत्ता भी अलग से परिपत्र निर्गत कर दे दिया जा सकता था, उसे राज्य सेवा के पदाधिकारियों के साथ निर्गत कर हमें ठगा गया है।

स्वागत भत्ता एवं समाचार पत्र भत्ता– न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को सभी कोटि के अलग अलग दर से स्वागत भत्ता दिया गया है। उसी प्रकार से बि0 प्र0 से0 के पदाधिकारियों को भी स्वागत भत्ता के रूप में या घरेलू सहायता के रूप में कमशः 2000/–1500/– एवं 1000/रू0 प्रतिमाह की दर से स्वीकृति दी जाय तथा समाचार पत्र भत्ता के रूप में न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के अनुरूप दो समाचार पत्र एवं एक पत्रिका प्रतिमाह कय करने का विपत्र प्रतिपूर्ति करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा आदेश निर्गत किया जाय।

दूरभाष की सुविधा–दूरभाष की सुविधा न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को अवास एवं कार्यालय में दी गयी है जबकि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को यह सुविधा नहीं दी गयी है। आप अवगत होगें कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को मोबाइल नेट से जोडा गया है। सचिवालय के अधिकांश वरीय पदाधिकारियों को मोबाइल उपलब्ध करा दिया गया है, मात्र बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को यह सुविधा देने में सरकार द्वारा भेदपूर्ण कार्रवाई की गई है।

एल0 टी0 सी0–इसी प्रकार एल0 टी0 सी0 एवं एच0 टी0 सी0 की सुविधा राज्य के न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को कमशः चार वर्ष में एक बार भारत के किसी एक स्थान पर भ्रमण के लिए तथा दो वर्ष में एक बार गृह स्थान जाने हेतु अनुमान्य किया गया है। जबकि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को मात्र बिहार राज्य में चार वर्ष में एक बार भ्रमण करने की यह सुविधा दी गयी है, जबकि बिहार राज्य में वे लगभग सभी जगह पदस्थापित होते रहे हैं। वैसी स्थिति में एल0 टी0 सी0 स्वीकृत करने की सरकार का उद्देश्य का लाभ नहीं हो रहा है।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :.................................... दिनांक ....

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

+ + +

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

+ + +

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

+ + +

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

+ + +

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+ + +

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

छुट्टी का नकदीकरण–न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दो वर्ष में एक बार अधिकतम एक माह की छुट्टी की नकदीकरण की सुविधा दी गयी है, उसी तरह बि० प्र० से० के पदाधिकारियों को भी यह सुविधा दी जाय।

विशेष कार्य भत्ता–न्यायिक पदाधिकारियों की तरह जब बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अपने मूल पद के अलावे किसी अतिरिक्त पद के प्रभार में रहें तो उक्त पद के वेतनमान के प्रारम्भिक प्रक्रम का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों की तरह की भुगतान करने की स्वीकृती दी जाय।

बिजली–पानी शुल्क–बिजली एवं पानी शुल्क के मद में वास्तविक व्यय या 50 प्रतिशत जो कम हो वह सुविधा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को स्वीकृत की जाय।

आपसे अनुरोध है कि पूर्व से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा सरकार के समक्ष इन सुविधाओं की स्वीकृती हेतु अपनी मांगे रखी गयी हैं। उसपर शिघ्रातिशीघ्र निर्णय लेकर निर्गत संकल्प को संशोधित कर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए भी उपर्युक्त सुविधा देने का आदेश निर्गत किया जाय।

विश्वासभाजन
ह०–
(ए० सी० मिश्र)
अध्यक्ष

ज्ञापांक 106 दिनांक 8/8/2008। 8/8/2008
प्रतिलिपि–सचिव, कर्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

[signature] 8/8
(ए० सी० मिश्र)
अध्यक्ष